न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः हुक्मीचन्द रोहलानिया आर.ए.एस.)

वाद सं0——10/2021

प्रविष्टि दिनांक ——12.1.2021

उनवान

सत्यनारायण पुत्र भंवर जाति कुमावत निवासी बीसलपुर कॉलोनी महुवा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक

—वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोंक

प्रतिवादी

उपस्थित—श्री राजकुमार मीणा—वकील वादी
पैरोकार सरकार—प्रतिवादी

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक—......................

आवेदन पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि खसरा नंबर 8/4 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम भरनी, तहसील व जिला टोंक मे स्थित हैं। उक्त भूमि का आवेदक एक मात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि आवेदक को न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (कलेक्टर) बीसलपुर परियोजना देवली जिला टोंक द्वारा बीसलपुर विस्थापितो के बाबत आंवटित की गई थी और उक्त भूमि के आवंटन की दिनांक से काश्त करता आ रहा है। आवेदक के पिता भंवरलाल कुमावत पुत्र लादू की मृत्यु दिनांक 12.2.1976 को हो चुकी है, उस समय आवेदक की आयु 1 वर्ष थी, इस कारण आवेदक को परिवारजन पप्पू ही कहते थे इस कारण पिता की विरासत के नामान्तरकरण मे एवं अवार्ड जारी करते समय सही नाम की जांच कर नही करके, राजस्व कर्मचारियो द्वारा आवेदक के बोलते नाम पप्पू पुत्र भूरया कोम सलावट सा0 बीसलपुर का अंकन कर दिया। अवार्ड अदायगी मे भी आवेदक का नाम पप्पू ही अंकित कर दिया। आवेदक के सभी दस्तावेज मूल निवास प्रमाण पत्र परिवार राशनकार्ड परिचय पत्र आदि मे आवेदक का नाम सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल कुमावत ही अंकित है और आवेदक को उक्त नाम से ही जाना जाता है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर, उक्त भूमि की जमाबंदी मे त्रुटिपूर्ण अंकन को सही किया जावे तथा पप्पू पुत्र भूरया कोम सलावट निवासी बीसलपुर तहसील देवली को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर आवेदक का सही नाम सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल कोम कुमावत निवासी बिसलपुर कॉलोनी महुवा, पंचायत छान तहसील टोंक अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

इसके पश्चात वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता वादी जमाबंदी संवत 2072—75, 2056—2059, 2047, मूल निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अवार्ड पत्र, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार नामान्तरकरण सं0 504 पप्पू पुत्र भूला कोम सलावट के नाम नामान्तरकरण दर्ज है। जमाबंदी संवत 2052—55 मे भी मुताबिक नामान्तरकरण ही नाम दर्ज है जिसमे नामान्तरकरण अथवा

शुद्धि नोट अंकित नही है। जमाबंदी संवत 2056–59 मे पप्पू पुत्र भूरया अंकित है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2060–63 खाता सं0 409 मे सीताराम पुत्र लादू कुमावत के नाम खातेदारीदर्ज है। वादी के अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम सत्यनारायण कुमावत दर्ज है। मुताबिक मौका पर्चा वादी की जाति सलावट नही होकर कुमावत बताई है। जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता सं0 150 मे पप्पू पुत्र भूरया दर्ज हैं एवं नामान्तरकरण सं0 504 मे पप्पू पुत्र भूला दर्ज है। दस्तावेज मे सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल है मुताबिक मौका पर्चा मजमे आम मे पप्पू पुत्र भूराया एवं सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल को एक ही व्यक्ति होना बताया है तथा जाति सलावअ नही होकर जाति कुमावत होना बताया है उक्त व्यक्ति बिसलपुर कॉलोनी महुवा का निवासी है। प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र भूरया जाति सलावट निवासी बीसलपुर के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र भंवर जाति कुमावत निवासी बीसलपुर कॉलोनी महुवा तहसील टोंक शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की गई है।

इसके पश्चात वादपत्र पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा मे अंकितानुसार प्रार्थी का बचपन का नाम पप्पू है जबकि अन्य दस्तावेजो मे सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल है इस कारण भूरया उर्फ भंवरलाल के फोत होने पर पटवारी द्वारा बोलता नाम अंकित कर दिया गया और वही श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजो मे चला आ रहा है। इस प्रकार रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि संभवतः बोलता से नामान्तरकरण भर दिया गया हो जो एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी मे आता है। अपितु त्रुटि काफी पुरानी है लेकिन संभवतः जानकारी के अभाव संशोधन नही हो पाया हो। चूंकि उक्त विवदित भूमि मे आवेदक एक मात्र खातेदार है तथा पैरोकार सरकार द्वारा उक्त त्रुटि को लिपिकीय त्रुटि मानते हुए शुद्ध करने की अभिशंषा की है। अतः पैरोकार सरकार रिपोर्ट, एवं साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर न्याय हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार कर, शुद्धि किये जाने योग्य है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136 बाबत खसरा नंबर 8/4 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम भरनी, तहसील व जिला टोंक स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि मे दर्ज नाम '' **पप्पू पुत्र भूरया कोम सलावट**'' के स्थान पर ''**सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल कोम कुमावत निवासी बिसलपुर कॉलोनी महुवा, पंचायत छान**'' शुद्ध करने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार, टोंक को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे शुद्धि की जाकर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज **दिनांक** .... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानिया)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक